RJPP, Vol. 15, No. 2, 2017, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, IMPACT FACTOR 4.0000 (ICRJIFR)
UGC Approved Journal No. 43279

राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख योजनाएँ एवं उपलब्धियॉ

कमलेश बैरवा
शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

सारांश

राजस्थान के पर्यटन विभाग ने ''पधारो म्हारो देष '' का आकर्शक आमत्रंण देकर पर्यटन विकास के लिए सरकार का सकंल्प प्रकट किया हैं। राजस्थान में पर्यटन उद्योग के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वदेषी व विदेशी पर्यटको को आकर्शित करने के लिए समय–समय पर यथोचित प्रयास किये जाते रहे हैं। जिसमें सर्वप्रथम 1955 में पर्यटन निदेषालय की स्थापना कर पर्यटको को संगीत व लोक कलाओ से परिचित कराने के लिए मेलो व प्रदर्षनियो का आयोजन किया जाने लगा। पर्यटन केन्द्रो पर आवास यातायात, शेजन व मनोरजंन की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उदेष्य से 24 नवंम्बर 1978 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई तथा मार्च 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रधान कर सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए अपना दृढ संकल्प प्रकट किया गया।

शोधपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

कमलेश बैरवा,
''*राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख योजनाएँ एवं उपलब्धियॉ*'', RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 155-161

http://anubooks.com/?page_id=2004
Article No. 22(RP571)

प्रस्तावना

राजस्थान के पर्यटन विभाग ने ''पधारो म्हारो देश '' का आकर्शक आमत्रंण देकर पर्यटन विकास के लिए सरकार का सकंल्प प्रकट किया हैं। राजस्थान में पर्यटन उद्योग के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वदेशी व विदेशी पर्यटको को आकर्षित करने के लिए समय–समय पर यथोचित प्रयास किये जाते रहे हैं। जिसमें सर्वप्रथम 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कर पर्यटको को संगीत व लोक कलाओ से परिचित कराने के लिए मेलो व प्रदर्शनियो का आयोजन किया जाने लगा। पर्यटन केन्द्रो पर आवास यातायात, शेजन व मनोरजंन की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उदेष्य से 24 नवंम्बर 1978 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई तथा मार्च 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रधान कर सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए अपना दृढ संकल्प प्रकट किया गया।

इसके अलावा केन्द्र सरकार की शॅति वर्श 1991 व 1992 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाकर पर्यटन विकास के लिए लोगो को प्रेरित किया गया। इन दोनो वर्ष में '' आओ नी पधारो म्हारो देश घर आयो मा जायो तथा राजस्थान आमंन्त्रित कर रहा है '' आदि नारो का प्रयोग कर पर्यटको कों राजस्थान भ्रमण के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया।

वैसे पर्यटन का राज्य में क्रमिक विकास होता रहा है लेकिन 2008 का वर्ष पर्यटन की दृष्टि से काफी उत्तम रहा है। इस वर्ष में 283.59 लाख स्वदेशी एवं 14.78 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आये। कुल मिलाकर 298.37 लाख पर्यटक राजस्थान श्रमण के लिए आये, जबकि 2007 में यह संख्या 273.22 लाख रही थी। राज्य मे चल रही पर्यटन विकास की विभिन्न योजना के फलस्वरूप राजस्थान आने वाले पर्यटको की संख्या 2014 तक बढकर 346.02 लाख हो गई जिनमें 330.76 लाख स्वदेशी व 15.26 लाख विदेशी पर्यटक शामिल है।

इस प्रकार 2014 का वर्श राजस्थान के लिए पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में का काफी उत्तम रहा जिसके कारण इस वर्ष राजस्थान पर्यटन को विभिन्न पुरस्कारो से नवाजा गया

राजस्थान में चल रही पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाएँ निम्न है–

1. सरकारी व्यय में वृद्धि–

पर्यटन को बढावा देने के लिए वर्श 2003 – 2004 में राज्य सरकार द्वारा कला एवं संस्कृति के विकास पर 13 करोड 80 लाख रूपये व्यय किए गये, जिसे 2005–06 व 2007–08 में बढाकर क्रंमशः 26 करोड 13 लाख व 65 करोड 78 लाख कर दिया गया पर्यटन मंत्रालय शरत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्त्तित योजनान्तर्गत वर्श 2013– 14 में राज्य में पर्यटन विकास की 10 नवीन परियोजनाओ पर व्यय करने के लिए 5174.67 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी तथा पर्यटन इकाईयो की 73 परियोजनाएँ अनुमोदित की गई जिनकी निवेश राशि 39,839.66 लाख रूपये है। विभाग द्वारा प्रमुख पर्यटक स्थलो, मेलो व त्योहारो के लिए 40 वर्चुअल टयूर प्रारम्भ किये गए, जिनमें से 15 विभागीय बेसाईट पर प्रदर्शित किये गये है।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 की विभाग की वित्तिय प्रगति व्ययः

वर्ष	व्यय राशि (रु. में)
2010–11	2709.12
2011–12	2906.18
2012–13	3441.53
2013–14	5839.40
2014–15	2183.82

2. मेलो व त्योहारो का आयोजनः– राज्य की सम्रद्ध–सांस्कृतिक विरासत में मेलो व त्योहारो का मध्य पूर्ण स्थान है। पर्यटक विभाग ने वर्ष 2001 तक अन्तराष्ट्रीय रूप से प्रगति करने के लिए मेलो तथा त्योहारो का एक कलेण्डर तैयार किया है जिसमें 1. ग्रीष्मकालीन त्योहार(माउण्ट आबू) 2. तीज का त्यौहार जयपुर 3. मारवाड त्यौहार जौधपुर 4. पुष्कर मेला, पुष्कर 5. चन्द्रमागा मेला झालावाड 6 ऊॅट महोत्सव बीकानेर 7. नागौर मेला नागौर 8. मरू महोत्सव, जैसलमेर 9. हाथी महोत्सव जयपुर 10. मेवाड त्यौहार 11. गणगौर महोत्सव जयुपर आदि प्रमुख है।

इन मेलो व त्योहारो में राज्य की संस्कृति स्पष्ट रूप से झलकती है–

वर्श 2013–14 में विभाग द्वारा प्रमुख स्थल मेले और त्यौहारो के लिए 40 वर्चुअल टयूर प्रारम्भ किये गये जिनमें से 15 विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित किये गये है तथा अप्रेल 2014 से दिसम्बर 2014 तक 36 मेले एवं त्योहारो का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया वर्श 2010–11 से 2014–15 तक की विभाग की शैतिक प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गई है।

वर्ष

2010–11

2011–12

2012–13

2013–14

2014–15

3. शाही रेल गाडी की शुरूआत :–

पर्यटन विकास निगम द्वारा एक शाही रेल गाडी '' पैलेस आन व्हील '' की शुरूआत वर्ष 1982 में की गई जिसे सितम्बर 1995 में नई पैलेस ऑन व्हील POW के रूप में चालू किया गया। यह रेलगाडी पैकेज ट्यूर के रूप में प्रमुख पर्यटन केन्द्रो को जोडती है इस गाडी द्वारा प्रथम यात्रा की शुरूआत 26 जनवरी 1982 को की गई थी। सन 1982 से 1994 तक इस रेल गाडी द्वारा की गई यात्रा से 20 हजार की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। जिसमें 35 देशो की मुद्राए शामिल थी। रेल लाईनो को बडी लाइनो में परिवर्तित करने के कारण षाही रेल गाडी को फरवरी 1994 में बन्द कर दिया गया जिसे पर्यटन विकास निगम और शरतीय रेलवे के सहयोग से पुनः 13 सितम्बर 1995 को ''पहियो पर चलने वाला नया राजमहल'' के नाम से चलाया गया। जिसका

निर्माण 20 करोड रूपये की लागत से इन्टीग्रल कैप फैक्टरी मद्रास में करवाया गया ''।

इसी क्रम को आगे बढाते हुए 17 फरवरी 2006 को राज्य में एक और नई रेल गाडी '' हेरीटेज आन व्हील्स '' HOW प्रारम्भ की गई जो जयपुर, बीकानेर, छापर, नवलगढ के बीच (3 रात व 4 दिन के लिए) शेखावाटी प्रदेश में रायल राजस्थाान आन व्हील के नाम से चलायी गयी।

इस प्रकार राज्य में पर्यटन विकास के लिए किये गए प्रयासो में शाही रेलगाडी की शुरूआत एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। जिससे पर्यटको की संख्या में आशानुकुल वृद्धि हुई है। राज्य में चलने वाली शाही रेलगाडीयो में से,'' पैलेस आन व्हील'' POW नामक रेलगाडी को टेवल मैगजीन कोन्डेनास्ट की और से विश्व की दस बेहतरीन ट्रेनो में चौथा स्थान दिया गया।

4. पूँजी निवेश की वृद्धि के उपाय:– पूँजी निवेश पर्यटन विकास की प्रारम्भिक आवश्यकता हैं। मार्च 1989 राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के बाद इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढावा देने के लिए स्वीकृत पूँजी विनियोजन के रूप में 15 से 20 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की गई तथा जुलाई 1991 में केन्द्र सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढाकर 51 प्रतिशत कर दिया गया जिसका राज्य पर्यटन विकास पर अनुकुल प्रभाव पडा। राज्य सरकार द्वारा 1994 –95 में किलो , महलो व गढो की सुरक्षा के लिए 6.5 करोड रूपये आंवटित किये गए तथा 1.5 करोड रूपये की सब्सिडी प्रदान की गई। इन सबके अलावा पर्यटन क्षेत्र में सितम्बर 1997 के अंत तक नये दिशा निर्देशो के तहत 29411.56 (मिलियन) रूपये के विदेशी पूँजी निवेश को शामिल करते हुए 243 प्रस्तावो को अनुमोदित किया गया।

5. पेइंग गेस्ट योजना :– पर्यटन विकास की विभिन्न योजना के अर्न्तगत प्रदेश में सितम्बर 1991 में पेइंग गेस्ट योजना की शुरूआत कर पर्यटको को ठहरने के लिए आवास, खाने की सुविधा प्रदान की गई, इस योजना के द्वारा पर्यटको को पेइंग गेस्ट के रूप में रखा जाता है। यह योजना प्रदेश के 9 शहरो में (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, चित्तोडगढ, माउंट आबू एवं पुष्कर) 562 परिवारो के द्वारा चलायी जा रही है ,जिसमें लगभग 4000 से अधिक पर्यटको के लिए आवास व शेजन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

6. हेरिटेज होटल योजना :– हेरिटेज होटल पर्यटन विकास का मुख्य आधार है। इस योजना के तहत 1991 से ही कलात्मक हवेलियो, गढ स्थलो, व महलो को संरक्षण प्रदान कर उनकी कार्य क्षमता का पुनः उपयोग किया जा रहा है तथा 50 पुराने श्वनो को अनुदान प्रदान कर उनको होटल के रूप में विकसित किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य में हेरिटेज होटल की संख्या 65 हो गई , जिनके 1995–96 के अन्त तक 100 से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था।

7. नई होटल नीति 2006 :– हेरिटज होटल योजना को आगे बढाते हुए राज्य सरकार द्वारा जून 2006 में नई होटल नीति जारी की गई। इस नीति के तहत होटलो व आवास सुविधाओ की आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि उपलब्ध करायी जाती है। इसके लिए भूमि विकास बैक स्थापित करने की पहल की गई तथा होटलो को 3 श्रेणियो में वर्गीकृत किया गया

1. बजट (1,2,3 Star) जिसका अधिकतम क्षेत्र 1200 वर्ग मीटर हो।

2. मिड मार्केट होटल (4 Star) जिसका अधिकतम क्षेत्र 6000 वर्ग मीटर हो।

3. पॉच सितारा होटल (5 Star) जिसका अधिकतम क्षेत्र 18,000 वर्ग मीटर हो।

होटल नीति के अन्तर्गत होटल की जमीन आवंटन में होटल वालो / टूर ऑपरेटरो को प्राथमिकता दी गयी तथा भूमि खरीददारो को भूमि परिवर्तन चार्जेज में व मनोरजन कर में शी 100 प्रतिशत तक की छूट मार्च 2010 तक देने का प्रावधान किया गया।

8. राज्य पर्यटन नीति 2001 :– पर्यटन को जन –उद्योग बनाने व इसके माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढाने के उदेश्य से मन्त्रिमण्डल द्वारा नई पर्यटन नीति को 24 सितम्बर 2001 को मन्जूरी प्रदान की गई, इस नीति की मुख्य बाते निम्न हैः–

1. राज्य में उपलब्ध समृद्ध पर्यटन संसाधनो का अधिकाधिक उपयोग कर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की बात कही गई ।

2. राज्य की समृद्ध व विविध हस्तकलाओ एवं शिल्प कलाओ के लिए बाजार उपलब्ध करवाना।

3. स्थापत्य कला एवं सांस्कृतिक विरासतो का वैज्ञानिक तरीके से प्रबन्ध कर संरक्षित करने का प्रावधान किया गया।

4. स्थायी पर्यटन इकाईयो को पॉच वर्ष तक विलासिता षुल्क से मुफ्त किया गया।

5. साहसिक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, ऊॅट व घोडो की सवारी ,नदियो व नहरी नौकायन, शैक्षणिक व ग्रामीण पर्यटन को बढावा दिया गया।

6. ब्याज अनुदान डी. जी. सैटस अनुदान, फिल्म शूटिग को प्रोत्साहन, मल्टीप्लेक्स, डाईव इन सिनेमा व थियेटर विकसित करने की स्वीकृती प्रदान की गई।

7. पर्यटन क्षेत्र में 60 लाख रूपयें को निवेश करने वाली पर्यटन इकाइयो को ब्याज दर में 2 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया।

9. **पर्यटन ईकाई नीति 2007** :– राज्य में पर्यटक के लिए आवास सुविधाओ के विस्तार, आधारभूत संरचनाओ का विकास एवं रोजगार सृजन के उद्वेश्य की पूर्ति के लिए रिसर्जेन्ट राजस्थान सम्मेलन के अवसर पर 30 नवम्बर 2007 को नई पर्यटन नीति 2007 जारी की गई। जिसमें समस्त पर्यटन ईकाईयो को विभिन्न छूटो का परिलाभ देने का प्रावधान किया गया तथा ग्रामीण पर्यटन को बढावा देने के उद्धेश्यो को विशेष रूप से सम्मलित किया गया।

10. **पर्यटन ईकाई नीति 2015** :– तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे ने नई दिल्ली में आयोजि अम्बेसडर्स राउंड–टेबल कांफ्रेस में पर्यटन ईकाई नीति 2015 जारी कीं , जिसकी प्रमुख बाते निम्न है–

1. पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न इकाईयो का व्यापक रूप से परिभाशित किया गया।

2. नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित नवीन पर्यटन ईकाईयो को भूमि परिवर्तन शुल्क से मुक्त किया गया तथा भू सम्परिवर्तन के लिए समयसीमा निर्धारित की गयी।

3. हेरिटेज होटलो को पट्टा जारी करने के लिए पात्र माना गया।

4. श्वन योजना का अनुमोदन करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई।

11. **पर्यटक सहायता बल (TPF) योजना**:– पर्यटको के साथ आये दिन होने वाली लूट–पाट ,छेड–छाड, धोखाधडी, अभद्र व्यवहार व असामाजिक तत्वो के द्वारा परेशान किये जाने की घटनाओ को ध्यान में रखते हुए पर्यटको की सुरक्षा और सहायता के लिए 1 अगस्त 2000 से प्रदेश मे पर्यटक सहायता बल योजना प्रारम्भ की गई। जिसमें पर्यटको की सहायता के लिए भूतपूर्व सैनिको की सेवाएँ ली जाती है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेंर, उदयपुर, माउंटआबू, सवाईमाधोपुर, पुष्कर (अजमेर), भरतपुर, बीकानेर एवं चितौडगढ में पर्यटक सहायता बल कार्यरत है।

12. **एडोप्ट–ए–मोन्यूमेंट योजना** :– सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं जीर्णोद्वार करने में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए राजस्थान में एडोप्ट–ए–मोन्यूमेंट योजना प्रारम्भ की गईं। इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित स्मारको के रूप में मौजूद बहुमुल्य सांस्कृति विरासतो का संरक्षण व जीर्णोद्वार कर उचित प्रबन्धन के साथ उसे पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र बनाया जाता है। इस नीति के तहत कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जयपुर के जंतर–मंतर वैद्यशाला व हवामहल का मास्टर प्लान तैयार करवाया गया है।

13. **अपना धाम अपना काम योजना**:– राज्य सरकार द्वारा मन्दिर व तीर्थ स्थलो के विकास के लिए अपना धाम अपना काम योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत धार्मिक स्थलो के विकास को प्रभावी गति प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जा रहा है। यह योजना राजस्थान सरकार के देव स्थान विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

14. **अन्य कार्यक्रम** :–

1. विश्वप्रसिद्ध जैसलमेर किले के संरक्षण के लिए गन्दे पानी व सीवरेज निकास की योजना प्रारम्भ की गयी।

2. 1994–95 मं डेचू सालासर, देवली, पिण्डवाडा, ब्यावर में पर्यटको के लिए मिडवे की सुविधाओ का निर्माण करवाया गया।

3. पर्यटको की सुविधाओ के लिए विमान सेवा का विस्तार कर उडानो की संख्या 9 से बढाकर 42 की गई।

4. उदयपुर के मोतीमगरी व आमेर के महलो में दृश्य एवं श्रव्य शो प्रारम्भ किये गये।

5. 1994–95 में दरगाह शरीफ अजमेंर व पुष्कर के र्स्वागीन विकास की वृहद्ध योजना के साथ विभिन्न पर्यटक स्थलो कैलादेवी, गोगामेडी, रामदेवरा, सालासर बालाजी, देशनोक, मेहन्दीपुर बालाजी,व नागौर की दरगाही आदि के लिए नियोजित विकास कार्यक्रम रखे गये है।

6. जयपुर में हाथी गॉव की स्थापना की गई।

7.पारम्परिक पर्यटन से हटकर साहसिक एंव रोमांचक पर्यटन को बढावा देने के लिए वाटर स्पोंटस, कैमल सफारी, होर्स सफारी, विलेज सफारी आदि के आयोजन को बढावा दिया गया।

पर्यटन योजनाओं की लाभदायकता का मूल्यांकन –

राजस्थान में एक नियोजित एवं सुव्यवस्थित पर्यटन कार्यक्रम की बहुत जरूरत है। अतः

एक दीर्घकालीन नियोजन, जिसमें पर्यटन–व्यापार के समस्त अंश संयोजित व सम्पर्क के रूप में सम्मिलित हो, पर्यटन की आधारित संरचना की अत्यन्त आवष्यक बुनियाद है। राजस्थान में पर्यटन की आधारित संरचना का अधिकतर कार्य सरकारी क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा ही किया हुआ है, ऐसे में पर्यटन–प्रबंध का समस्त जिम्मा भी राज्य सरकार ही अपने पर ओढे हुए है। हालांकि गत दशकों में राज्य में पर्यटन–प्रबंध के तहत विभिन्न विकास कार्य किये गये है और उनसे यहां पर निरंतर पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है परन्तु अभी भी इस दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने की जरूरत है तभी पर्यटन को यहां जन उद्योग बनाया जा सकेगा। पर्यटन ही एक मात्र ऐसा उद्योग है जिसे जन उद्योग बनाए बिना उसकी पूर्ण सफलता संभव नहीं है।

राजस्थान कला, साहित्य, संस्कृति के साथ–साथ अपने पर्यटक–स्थलों के कारण विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहां पर पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन तो रियासत काल से ही प्रारंभ हो गया था परन्तु व्यवस्थित रूप से पर्यटन का विकास वर्ष 1955 में राज्य में पर्यटन विकास एवं पर्यटन के सुनियोजित प्रबंध के लिए पर्यटन निदेशालय की स्थापन से हुआ। इसके बाद सन् 1978 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की भी पृथक से स्थापना की गयी। वर्तमान में राज्य सरकार पर्यटन के अन्तर्गत दो रूपों में अपना कार्य कर रही है। प्रथम पर्यटन – स्थलों के विकास कार्य, नए स्थलों को उजागर करना, प्रचार–प्रसार के माध्यम से पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने, मेले, उत्सवों व त्यौहारों के माध्यम से लोक संगीत और लोककलाओं को पर्यटकों के सम्मुख प्रस्तुत करने आदि के कार्य को पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। इसके बाद दूसरे रूप में पर्यटको को आवास, परिवहन एवं नोकायन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. कर्नल जेम्स टॉड़ (1988) ''राजस्थान का इतिहास'' श्याम प्रकाशन, जयपुर पृ.सं. 219–222

2. प्रगति प्रतिवेदन, 1991–1992 ''पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग'' राज. सरकार, जयपुर पृ.सं. 278–281

3. शर्मा, प्रो. के.के. (1989) ''राजस्थान में पर्यटन विकास'' प्रगति प्रकाशन, जयपुर (राज.) पृ.सं. 165–168

4. राजस्थान पत्रिका, जयपुर 25 नवम्बर 1978, पृ.सं. 9

5. राजस्थान सुजस, जून–जुलाई (1993) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर पृ.सं. 31–33